

# Order Sheet [Contd]

Case No85/17 B.A Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25-2-17	<p>आवेदक/आरोपी की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता । राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक । आपत्तीकर्ता सहित श्री एम0एस0यादव अधिवक्ता । पुलिस थाना मालनपुर की ओर से अप0क्रं0 203/16 धारा 341,354,323,506,34 भा0द0सं0 की केश डायरी मय प्रतिवेदन पेश की गयी ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 में बताया गया है कि यह उसका तृतीय जमानत आवेदनपत्र है इसके पूर्व प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक 11-1-17 को बल न देने के कारण निरस्त किया गया है और द्वितीय जमानत आवेदनपत्र दिनांक 19-1-17 को निरस्त किया गया है । वर्तमान आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त होना बताया गया है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदन में निवेदन किया गया है कि आवेदक को पुलिस थाना मालनपुर ने एक झूठे अपराध क्रमांक 203/16 अन्तर्गत धारा 341,354,323,506,34 भा0द0सं0 एवं धारा 11/12 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012 के अंतर्गत बन्दी बना लिया है, जबतक आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है । फरियादिया की मां के द्वारा अपने परिवार वालों के साथ मिलकर आवेदक के घर में दूसकर मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट आवेदक के द्वारा थाना मालनपुर में की जिस पर से अप0क्रं0 139/16 पर दर्ज हुई है । उक्त प्रकरण में राजीनामा बनाने के लिये आवेदक के विरुद्ध षणयंत्र करके यह झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । प्रकरण में चालान भी पेश हो चुका है । आवेदक को निरोध मे 60 दिन का समय व्यतीत हो चुका है । आवेदक जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है वह अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>अपर लोक अभियोजक ने विरोध कर जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।</p> <p>आपत्तीकर्ता द्वारा लिखित आपत्ती पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किये जा चुके हैं ।</p>	

आवेदक के द्वारा उसे एवं उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है और राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है । जमानत पर छूटने पर वह गंभीर घटना कर सकत है । अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ती स्वीकार करते हुये आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । केश डायरी का अवलोकन किया गया । फरियादिया जो कि 14 वर्ष की नाबालिग होनी बताई गई है की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22-11-2016 को जब वह अपनी बहन के साथ मालनपुर स्कूल जा रही थी उसका रास्ता रोककर आरोपी के द्वारा धमकी दी गई और अगले दिन जब वह स्कूल जा रही थी तो आरोपी रामसहाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ भी मारा और उसके साथ गंदी बातें भी की गई । जिस पर से धारा 341,354,323,506,34 भा0द0वि0 एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अर्निनियम 2012 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि उसे घटना में झूठा लिप्त किया गया है जो कि पूर्व में उनकी रिपोर्ट पर फरियादिया के परिवार वालों पर मामला दर्ज हुआ है और वह अभिरक्षा में भी रहे हैं । इसी रंजिश पर से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि पूर्व में आवेदनपत्र इस आधार पर निरस्त हुआ है कि प्रकरण की विवेचना अभी अपूर्ण है। वर्तमान प्रकरण की विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान आरोपी रामसहाय की रिपोर्ट के आधार पर फरियादिया के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध इस घटना के पूर्व थाना मालनपुर में दिनांक 20-8-16 को रिपोर्ट की जानी जिस पर कि अप0क्रं0 139/16 धारा 147,148,149,23,295,506,427 भा0द0वि0 का उनके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है जो कि उक्त तथ्य पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति से भी स्पष्ट होता है ।

इस प्रकार आवेदक/आरोपी के साथ पूर्व से पारिवारिक विवाद होना स्पष्ट है । यद्यपि यह सत्य है कि पूर्व में प्रस्तुत आरोपी का आवेदनपत्र निरस्त हुआ है जो कि प्रकरण की अपूर्ण विवेचना को देखते हुये निरस्त किया गया है । वर्तमान में प्रकरण की विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है । आरोपी 20-12-16 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । यद्यपि पूर्व में आरोपी को विवेचना अपूर्ण होने के कारण जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं पाया गया किन्तु जबकि प्रकरण की विवेचना पूर्ण हो चुकी है और पक्षकारों के मध्य पूर्व से आपस में विवाद होना और रिपोर्ट होना स्पष्ट है । इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक

की ओर से प्रस्तुत वर्तमान जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/आरोपी की ओर से 40000/- चालीस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका पेश होने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ा जाये ।

शर्त :-

1-आवेदक साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित एवं प्रलोभित नहीं करेगा ।

2-आवेदक प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा एवं प्रकरण के विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

3-आरोपी किसी अन्य अपराध में संलग्न नहीं रहेगा ।

प्रकरण पूर्ववत् आरोप तर्क हेतु दिनांक 28-2-17 को पेश हो ।

ए0एस0जे0गोहद

